

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 14/2024

अनवान :-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा त० भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र मादूराम जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
3. बैंक पीएनवी शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्थान तहसील भादरा।
5. विमला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा वावत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री पूनमचंद वर्मा वादी
श्री अक्षय कुमार प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 107/93 की कुल 13.8640 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10095/27728 हिस्सा, चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 242/179 की कुल 7.0840 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3315/14168 हिस्सा तथा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 77/74 की कुल 0.759 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 106/107 की कुल 7.3370 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2, 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ-साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।




[Handwritten signature]

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 107/93 की कुल 13.8640है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10095/27728 हिस्सा, चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 242/179 की कुल 7.0840है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3315/14168 हिस्सा तथा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 77/74 की कुल 0.759है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 106/107 की कुल 7.3370है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1-2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 107/93 की कुल 13.8640है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10095/27728 हिस्सा, चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 242/179 की कुल 7.0840है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3315/14168 हिस्सा तथा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 77/74 की कुल 0.759है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 106/107 की कुल 7.3370है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह की बजाय वादी सुभाष चन्द्र प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह व प्रतिवादी सं० 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओ.पी. चन्देलिया)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि०न० - 14/2024

अनवान :-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा त० भादरा।

वादी


बनाम

1. भूपसिंह पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
3. बैंक पीएनबी शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
5. विमला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 107/93 की कुल 13.8640है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 10095/27728 हिस्सा, चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 242/179 की कुल 7.0840है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3315/14168 हिस्सा तथा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 77/74 की कुल 0.759है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 106/107 की कुल 7.3370है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह की बजाय वादी सुभाष चन्द्र प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह व प्रतिवादी सं० 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(ओ.पी. चन्देलिया)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

